

19/5/25 पत्रावली पेश। वकील वादी हाजिर।
पत्रावली में पूर्व में भी वकील वादी को
अंतिम हिदायत दी गई थी कि आगामी
पेशी पर तामिल की रसीदें पेश करे,
अन्यथा आदेश 9 नियम 5 के तहत आदेश
पारित किया जाएगा लेकिन वकील वादी
ने आज दिनांक तक तामिल की रसीदें
पेश नहीं की। अतः वादी का वाद आदेश
9 नियम 5 के तहत खारिज किया जा रहा है।
पत्रावली फैसल नुमांर होकर नम्बर से
कम होकर दाखिल दफ्तर है।

[Signature]
उपस्थित अधिकारी
बातारामगढ़ (सीकर)